BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

AT NEW DELHI

O.A No. 196 OF 2020

IN THE MATTER OF:

DARSHAN TIKARAM DOBHAL ...COMPLAINANT

VERSUS

MoEF, GOVT. OF INDIA &Ors. ...RESPONDENTS

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST (HoFF), UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE TO THE DIRECTIONS PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ORDER DATED 11.09.2020

1. That it is alleged by the complainant in the above said complaint that there is a violation of environmental norms in the construction of the Tunni-Chandi-Pyunal motor-road. It is also alleged that there is a unscientific disposal of the stones and muck generated in the construction work of the said motor-road in Chakrata, District Dehradun, in the forest area.

2. That in compliance to the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 11.09.2020, the then Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakahand had formed a committee on 25.09.2020 consisting of two members. Thereafter the committee had visited and investigated the construction site and furnished its report to the undersigned on 31.10.2020. Copy of the report is annexed herewith as **ANNEXURE-1.**

3. That the construction of the above said motor-road (23.325 Kms) is being carried out by PWD Kalsi under PMGSY after sanction by the Govt. of India. The details of the affected land (13.94 Ha) in the construction of the above-mentioned road is as follows:

   a. Reserved Land : 1.1375 Ha
   b. Civil Soyam Land : 3.8025 Ha
   c. Nap-Land : 9.0000 Ha

It is clear from the report of committee that most of the land in the construction of the motor-road in question, is Nap-Land and it is found by the committee that there is no environmental loss due to felling of trees in the Nap-Land.

4. That it is stated by the committee in its report that the Divisional Forest Officer, Chakarata division had visited and inspected the construction site of the said motor-road several times.

5. That the Divisional Forest Officer, Chakarata division, wrote to the PWD about the irregularities being done by them time to time.

6. That the forest department had also registered an offence and imposed the fine of Rs. 2.21 Lacs on PWD Kalsi, on account of the loss in muck disposal on the Reserved Land. The disposal of the muck has not been done on the identified places but done on the down slopes.

It is therefore, most respectfully prayed to this Hon'ble tribunal may kindly be pleased to take the report on record furnished by the committee in compliance to the directions vide order dated 11.09.2020 passed by this Hon'ble Tribunal in the interest of justice.

Place Dehradun
Dated: 8th April 2021 Through

Rajiv Bhartari
Principal Chief Conservator of forests, (HoFF)
Uttarakhand, Dehradun

(गोपनीय)

कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहराहदून 248001, फोन न0 01352740926
Email: pccfvanpanchayat@gmail.com & ccfvpddn@gmail.com

पत्राक– 510 /26 –1 दिनाक : 29.10.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, (नाम से)
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 196/2020 दर्शन टीकाराम डोभाल बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 332/29–3(3) दिनांक 25.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र कम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 196/2020 दर्शन टीकाराम डोभाल बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति द्वारा दिनांक 21.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जांच समिति द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी से प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये गये। स्थलीय निरीक्षण, प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग से प्राप्त अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा जनता के लोगों के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त जॉच रिपोर्ट तैयार की गयी है जो कि मय संलग्नकों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत,एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– 510 / 26-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड को जॉच रिपोर्ट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन पचायत, उत्तराखण्ड़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन पंचायत, एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) में चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग के सम्बन्ध में योजित मूल आवेदन संख्या 196/2020 दर्शन टीका राम डोभाल बनाम, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य के प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा गठित जॉच समिति की जाँच आख्या/रिपोर्ट

1. केस का संक्षिप्त इतिहास :

प्रश्नगत चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग का निर्माण अधिशासी अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड कालसी, देहरादून द्वारा वर्तमान में कराया जा रहा है। इस मोटर मार्ग (लम्बाई 23.325 किमी0) के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08बी/यू.सी.पी./06/172/2016/2457 दि0 4.02.2020 से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी प्रति संलग्न है **(संलग्नक–01)**। इस कम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 261/X–3–20/1(285)/2016 दि0 18.03.2020 से प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु राज्य की स्वीकृति विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की गयी है। जिसकी प्रति संलग्न है **(संलग्नक–02)**। निर्माणाधीन मोटर मार्ग के अंतर्गत आच्छादित भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

(1). आरक्षित भूमि	–	1.1375 है0
(2). सिविल सोयम भूमि	–	3.8025 है0
(3). नाप भूमि	–	9.0000 है0
योग	–	**13.9400 है0**

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में याचिकाकर्ता दर्शन टीका राम डोभाल द्वारा इस मोटर मार्ग के निर्माण में अवैज्ञानिक रूप से पत्थरों एवं मलुआ का निस्तारण करने एवं आवश्यक सुरक्षा उपाय न अपनाये जाने के कारण पर्यावरण को क्षति होने की शिकायत हेतु मूल आवेदन संख्या 197/2020 योजित किया गया। इस आवेदन के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दि0 11.09.2020 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार से हैं :–

'1. Grievance in this application is against unscientific disposal of the stones and muck generated from Tunni Chandni Tunal Motor Road construction work in Chakrata, District Dehradun, in the forest area. According to the applicant, during construction of the road by the Uttarakhand Public Works Department(UPWD), necessary safeguards are not being observed resulting in damage to the environment. The applicant has relied upon photographs and copies of complaints filed with the authorities.

2. In view of the above, we consider it necessary to require a factual and action taken report from the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance and may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in form of Image PDF.

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.'

उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु 02 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया, जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा श्री अमित वर्मा, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, को जाँच समिति में सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के उक्त सन्दर्भित आदेशों के कम में सर्वप्रथम उक्त गठित जॉच समिति द्वारा दिनांक 06.10.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, कालसी के साथ बैठक कर प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। इस बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है–**(संलग्नक–3)**। प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराने पर यह प्रकाश में आया कि प्रकरण चकराता वन प्रभाग, कालसी के देवघार रेंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग से सम्बन्धित है।

जिसके लिए वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सैद्वान्तिक एवं विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्रों से प्राप्त हुई है। यह प्रकरण इस मार्ग में मार्ग कटिंग किये जाने तथा कटिंग के दौरान वृक्षों को गिराने एवं सृजित हुए मलवे के निस्तारण स्वीकृत डम्पिंग स्थानों पर न किये जाने से सम्बन्धित है।

जॉच समिति द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को प्राप्त कर गहनतापूर्वक परीक्षण किया गया तथा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जॉच समिति द्वारा सम्बन्धित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

2. जॉच समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण एवं वर्तमान तक प्रभाग स्तर से की गई कार्यवाही का सारांश :

इस सम्बंध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा वर्तमान तक की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट अपने पत्र सं0 1544/12–1 दिनांक 26.10.2020 से प्रेषित की गयी जो कि **(संलग्न–4)** के रूप में संलग्न है। प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार कमवार कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा मार्ग का दिनांक 1.05.2020, 17.06.2020 एवं 11.10.2020 को निरीक्षण किया गया। प्रयोक्ता अभिकरण के सहायक अभियन्ता, अवर सहायक अभियन्ता के अनुसार किमी. 1 से 8.05 लम्बाई तक मोटर मार्ग हल्का वाहन (LVR) हेतु पूर्व से निर्मित है। जिसमें मोटर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक स्थानों पर चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु कटिंग का प्रावधान रखा गया है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं मार्ग की दशा से भी यह स्पष्ट है कि पूर्व से निर्मित मार्ग में ढलान कम है, मार्ग घाटी से होता हुआ ब्यूलोग तक पहुॅचता है। इस भाग में चौड़ीकरण का कार्य किया गया है।

वर्तमान में, मार्ग निर्माण हेतु मुख्यतः ब्यूलोग से कटिंग का कार्य किया जा रहा है। कटिंग का कार्य ब्यूलोग से लगभग 10 किमी0 तक किया जा चुका है। ब्यूलोग से डेरसा तक 7 किमी0 के भाग में प्रथम लगभग 800 मी0 आरक्षित भूमि है, शेष भाग अधिकांशतः सिविल भूमि व आंशिक निजी भूमि है। ग्राम डेरसा के उपरान्त समस्त मार्ग निर्माण कार्य निजी भूमि में है। ब्यूलोग से डेरसा तक 7 किमी. की दूरी तय करने में लगभग 400–500 मीटर की उर्ध्व ऊंचाई को प्राप्त करना है। इस खण्ड में मार्ग निर्माण कार्य करना यद्यपि कठिन है, ढलान पर मलुआ उत्सर्जन से बचाना भी एक चुनौती है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित सावधानी से कार्य भी नहीं किया गया है। डम्पिंग जोन का निर्धारित योजना के अनुसार निर्माण नहीं किया गया। कटान से उत्सर्जित मलुवे को पहाड़ी की ढलान में निस्तारित किया गया। इस भूभाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। ग्राम डेरसा के उपरान्त मार्ग समरेखण निजी भूमि में होने एवं ढलान सामान्य होने के कारण मार्ग निर्माण सरल है एवं क्षति की आशंका नहीं है।

दिनांक 01.05.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा ब्यूलोग से आरक्षित वन से आगे पहले कैंची मोड़ (Hairpin bend) तक मार्ग का निरीक्षण किया गया। तत्समय तीसरे कैंची मोड़ पर कार्य किया जा रहा था। प्रारम्भ में लगभग 800 मी0 आरक्षित भूमि में है, शेष सिविल भूमि में है। मलुवा निस्तारण हेतु स्थान निर्धारित नहीं पाया गया। मलुवा निस्तारण मार्ग से नीचे लुढ़काकर किया जा रहा था। जिससे वनस्पतियों एवं वृक्षों को क्षति हुई। निर्माण कार्य को तत्काल रोका गया। वन क्षेत्राधिकारी को मलुवा निस्तारण नियमानुसार करने एवं क्षति का आंकलन करने एवं वन अपराध दर्ज करने के निर्देश दिये गये। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा श्री विनोद शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड कालसी, श्री दयाराम चौहान, ठेकेदार, ग्राम धोईरा तहसील कालसी, श्री विरेन्द्र चौहान के नाम वन अपराध पंजीकृत कराया गया। वन अपराध का प्रशमन रू0 2,21,000.00 में किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या–371/अनु0, दिनांक 13.05.2020 से सूचित किया गया कि ठेकेदार द्वारा क्षति का अर्थदण्ड कार्यालय में जमा कर दिया गया है। ठेकेदार को कठोर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, भविष्य में मार्ग निर्माण करते समय और अधिक सावधानियों का संज्ञान लेकर कार्य करवाया जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी देवघार द्वारा पत्र सं0 339/27 दि0 3.05.2020 से तहसीलदार त्यूनी को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सिविल क्षेत्रों (जिनका स्वामित्व राजस्व विभाग के पास है) में ढलान में किये उत्सर्जित मलुवे से 66 वृक्षों को क्षति होने से अवगत कराया गया। ये वृक्ष वन निगम को आवंटित हैं।

दिनांक 17.06.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा मार्ग के निरीक्षण में यह पाया गया कि मोटर मार्ग का निर्माण/कटिंग का कार्य, डेरसा ग्राम तक किया जा चुका है। आरक्षित वन से आगे 03 किमी0 लम्बाई के मार्ग में 6 कैंची मोड़ (Hairpin bend) बनाये गये है। जिससे मार्ग में क्षति हुई है। मार्ग में डम्पिंग जोन निर्धारित योजना के अनुरूप नहीं बनाये गये है। अतः भारत सरकार के अनुज्ञा पत्र के अनुरूप निर्दिष्ट शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनः अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड कालसी को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग के कार्यालय की पत्र संख्या–3866/12–1, दिनांक 18.06.2020 से कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया एवं अग्रिम निर्देशों तक कार्य स्थगित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता से अनुपालन सूचना प्राप्त न होने पर पुनः चकराता वन प्रभाग के कार्यालय के पत्र संख्या–644/12–1, दिनांक 22.08.2020 से अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया।

चकराता वन प्रभाग के कार्यालय की पत्र सं0 857/12–1 दि0 8.09.2020 से अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, वृत्त भटट्ा फॉल, मसूरी को भी प्रकरण में तकनीकी जांच कराने हेतु लिखा गया। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पत्र सं0 1775/ 617 याता0–पी.एम.जी.एस.वाई./19 दि0 16.09.2020 से कार्यों की जांच हेतु 03 सदस्यों की विभागीय समिति गठित की गई एवं चकराता वन प्रभाग कार्यालय को सूचित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. कालसी द्वारा अपने पत्र सं0 862/22 सी दि0 04.09.2020 से चकराता वन प्रभाग कार्यालय को सूचित किया गया कि विधिवत् स्वीकृती की शर्तो का पूर्ण पालन किया जा रहा है। वनक्षेत्राधिकारी देवघार द्वारा पत्र सं0 140/12 दि0 27.09.2020 व उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पत्र सं0 159/12–1 दि0 8.10.2020 से मार्ग निर्माण में विभिन्न अनियमिताओं से सूचित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मार्ग निर्माण में विधिवत् स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।

दिनांक 11.10.2020 को पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण के अधीनस्थ सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता भी उपस्थित रहे। निरीक्षण जिसमें यह पाया गया कि शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता से लिखित स्थलीय आख्या भी प्राप्त की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि डम्पिंग जोन निर्धारित योजना के अनुरूप नहीं बनाये गये हैं एवं समरेखण स्तम्भ भी मौके पर नहीं हैं। डम्पिंग जोन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित पायी गई :–

अधिसूचित/ कार्ययोजना के अनुसार डम्पिंग जोन का विवरण							निरीक्षण की स्थिति
क.स.	स्थिति	भूमि का प्रकार	भू:स्वामित्व	क्षेत्रफल है0	भूमि वर्ग मी. में	डम्पिंग के उपयोग हेतु क्षे.फ.	
यार्ड–1	किमी. 3.0	सिविल	सिविल सोयम	1.52	15200	2400	नहीं बनाया गया
यार्ड–2	किमी. 4.0	निजी	श्री ग्यारू	0.208	2080	1200	नहीं बनाया गया
यार्ड–3	किमी. 7.0	सिविल	सिविल	2.44	24400	2000	नहीं बनाया गया
यार्ड–4	किमी. 8.0	निजी	सुन्दर सिंह	0.279	2790	875	नहीं बनाया गया
यार्ड–5	किमी.10.0	निजी	पिरमा देवी	0.242	2420	1200	बनाया जा रहा है।
यार्ड–6	किमी.12.0	निजी	पामू	0.845	8450	2100	भिन्न स्थान पर बनाया जा रहा है।
यार्ड–7	किमी.14.0	सिविल	सिविल	4.280	42800	3200	निजी भूमि में बनाया बनाया जा रहा है।
यार्ड–8	किमी.15.0	निजी	श्री धन सिंह	0.211	2110	1500	बनाया जा रहा है।
यार्ड–9	किमी.18.0	निजी	श्री चतर सिंह	0.501	5010	2400	सहायक अभि. व अवर सहायक अभि. द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य के साथ–साथ बनाया जायेगा।
यार्ड–10	किमी.21.0	निजी	श्री अजब सिंह	0.744	7440	2625	
यार्ड–11	किमी.23.0	निजी	श्री रामतू	0.555	5550	2400	
			योग–			21900	

कम सं0 1 से 4, किमी. 8 तक के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता एवं अवर सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि किमी. 1 से 8.05 लम्बाई तक मोटर मार्ग पूर्व निर्मित हल्का वाहन (LVR) हेतु बना हुआ था। जिसमें मोटर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक स्थानों पर चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु कटिंग का प्रावधान रखा गया है। कटिंग से प्राप्त मलुवा जमा करने हेतु किमी. 3, 4, 7 व 8 में डम्पिंग जोन का प्राविधान रखा गया था। यह प्राविधान मार्ग पर स्टेज–1 की स्वीकृति के लिये रखा गया था। किन्तु वर्तमान में मोटर मार्ग पर स्टेज–2 का कार्य भी स्टेज–1 के साथ– साथ किया जा रहा है। जिससे मार्ग निर्माण में अतिरिक्त सामग्री की खपत होगी। जिस हेतु किमी. 3, 4 में डम्पिंग जोन की आवश्यकता नहीं होगी। किमी. 7 व 8 में आवश्यकता हेतु डम्पिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। सीमा स्तम्भों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पिलर निर्माण किया गया था किन्तु वर्षाकाल में कटिंग के दौरान अधिकांश पिलर क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जिनका निर्माण पुनः कर दिया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मार्ग निर्माण के प्रथम 8 किमी. में पूर्व से ही हल्का वाहन(LVR) निर्मित है, इस भाग में चौड़ीकरण का कार्य ही किया गया है। भौगोलिक स्थिति भी अधिक ढलान की नहीं है, कटान से प्राप्त मलुआ को भरान में उपयोग किया गया है, अतः इस भाग में डम्पिंग जोन की आवश्यकता नहीं है।

मार्ग के किमी. 8 से 15 के भाग में 7 किमी. के दूरी तय करने में लगभग 400–500 मीटर की उर्ध्व ऊंचाई को प्राप्त करना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित सावधानी से कार्य भी नहीं किया गया है। डम्पिंग जोन का निर्धारित योजना के अनुसार निर्माण नहीं किया गया। कटान से उत्सर्जित मलुवे को पहाड़ी की ढलान में निस्तारित किया गया। इस भूभाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा सम्भव स्थानों पर तार जाल स्थापित कर पुनः सम्भावित अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

अधीक्षण अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. वृत्त, लो0नि0वि0 द्वारा चकराता वन प्रभाग के कार्यालय के पत्र सं0 857/12–1 दि0 08.09.2020 के कम में लो0नि0वि0 की जॉच समिति की जॉच आख्या पत्र सं0 2064/617 याता0–पी.एम.जी.एस.वाई./20 दि0 14.10.2020 से प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग को प्रेषित् की गई। लो0नि0वि0 की जॉच समिति की जॉच आख्या में मलुआ निस्तारण ढलान/खड्ड में करने, आवश्यक डम्पिंग जोन न बनाये जाने की पुष्टि की गई है।

अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड, कालसी, देहरादून द्वारा अपनी पत्र संख्या 1040/22 सी दि0 22.10.2020 से आख्या चकराता वन प्रभाग को प्रेषित् की गई (पत्र **(संलग्नक 05)** के रूप में संलग्न है)। इस पत्र में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के भाग नं0 2 ब्यूलोग से डेरसा के भाग में ऊंचाई का अन्तर 400 मी0 है। इस ऊर्ध्वाधर दूरी को प्राप्त करने हेतु क्षैतिज दूरी कम होने के कारण मार्ग की स्वीकृत डी.पी.आर के अनुरूप 06 हेयरपिन बैण्डों का निर्माण किया गया है। जिसके कारण इस भाग में निर्माण के दौरान एवं वर्षा के बाद बैण्ड क्षतिग्रस्त होने से मलवा एवं बोल्डर नीचे गिर गये, जिससे वन सम्पदा को क्षति हुई। पत्र में उनके द्वारा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति की बचनबद्धता प्रेषित् की गई।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, चकराता द्वारा अपने पत्र–898/13–1, दिनांक 26.10.2020 से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग में आवंटित आरक्षित वन के अन्तर्गत लौट संख्या–58/2017–18 में कार्य समाप्त कर त्याग पत्र प्रेषित किया गया है तथा लौट सं0–59/2107–18 में मार्ग के अन्तर्गत सिविल क्षेत्रों के वृक्ष है, जिनमें कुल 188 वृक्षों का छपान व पातन निहित है, में 37 वृक्षों का निस्तारण शेष है। इस मार्ग में छापे गये वृक्षों को रोड़ कटान कराने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2020 की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विस्तृत कार्य योजना के अनुरूप (DPR) मार्ग निर्माण के द्वितीय चरण में पर्यावरणीय क्षति कम करने हेतु निम्नलिखित कार्यों हेतु बचनबद्धता प्रेषित् की गई है–

(1) पहाड़ कटान, दीवार स्कपर का निर्माण पूर्ण होते ही मार्ग के नीचे जिन भाग में क्षति हुई है उन भाग में सीडिंग एवं मलचिंग के द्वारा वन सम्पदा पुनः जीवित कराई जायेगी।

(2) मार्ग के जिन भाग में स्लाइड जोन बनने सम्भावना है उन भाग में सुरक्षा दीवार व ड्रम में बोल्डर भरकर स्लाइडिंग को रोकने का कार्य किया जायेगा।

(3) मार्ग के नीचे जो मलवा चले गया है उसे उसी स्थान पर रोकने हेतु वायरकेट का निर्माण किया जायेगा।

(4) मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्ग के भारी किनारे में प्लांटेशन का कार्य किया जायेगा। प्लांटेशन कार्य से पूर्व वन विभाग से क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जिस वृक्ष की प्रजाति की उस भाग में आवश्यकता होगी, वन विभाग में सहमति एवं सलाह प्राप्त कर ली जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्तनुसार दी गयी वचनबद्धता सम्बन्धित पत्र प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के ***संलग्नक–3*** के रूप में संलग्न है।

उक्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण क्षति को कम करने हेतु जो उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न किये जाने है उसका प्राविधान पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में है जिसकी लागत रू0 10,54,554.00 है। उपरोक्त प्राविधान के कियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ने की दशा में अन्य व्ययों/बचतों से प्राविधान किया जायेगा।

3. जॉच समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में टिप्पणी :–

दिनांक 21.10.2020 को गठित जॉच समिति के सदस्यों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी, देवघार रेंज के सम्बन्धित अधिकारी तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड कालसी, देहरादून के अधिशासी अभियन्ता व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थालीय निरीक्षण किया गया। जिसमे स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे। समिति द्वारा दिनांक 21.10.2020 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृत 23.325 किमी. चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग के मुख्यतः तीन भाग/खण्ड हैं। प्रथम खण्ड त्यूनी से ब्यूलोग, द्वितीय ब्यूलोग से डेरसा एवं तृतीय डेरसा से प्यूनल चौरलानी। प्रथम खण्ड त्यूनी से ब्यूलोग कि.मी. 1 से 8.05 लम्बाई तक पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग (LVR) है। जिसे वर्तमान में चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस भाग में अधिकांशतः भूमि सिविल वन भूमि है एवं कहीं कहीं पर नाप भूमि भी सम्मिलित है तथा यह भी पाया गया कि इस भाग में चौड़ीकरण से निकलने वाले मलुवे को पुनः मार्ग के स्टेज–2 निर्माण हेतु उपयोग किया जा रहा है।

मार्ग के द्वितीय भाग ब्यूलोग से डेरसा तक कि0मी0 08 से 15 तक में 7 किमी0 लम्बाई के भाग में प्रथम लगभग 800 मी0 आरक्षित भूमि (आरक्षित वन मुराज कक्ष सं0–08) है, शेष भाग (लगभग 6.2 कि0मी0) में अधिकांशतः सिविल भूमि व आंशिक रूप से नाप भूमि सम्मिलित है। इस द्वितीय भाग का समरेखण इस प्रकार है कि अन्तिम छोर तक इसमें लगभग 450 मीटर की उर्ध्व ऊंचाई प्राप्त करनी है। इस द्वितीय भाग में मार्ग निर्माण कार्य करना यद्यपि कठिन है, ढलान पर मलुआ उत्सर्जन से बचाना भी एक चुनौती है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित सावधानी से कार्य भी नहीं किया गया है। यह पाया गया है कि स्वीकृत वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चिन्हित डम्पिंग जोन का निर्माण चिन्हित स्थलों पर नहीं किया गया है, इस भाग में कई स्थानों पर डंपिंग जोन से सम्बन्धित नोटिस बोर्ड लगे पाये गये परन्तु इनमें मलुवे को एकत्रित कर डम्प करने का कार्य नहीं किया गया है। कई स्थानों पर कटान से उत्सर्जित मलुवे को पहाड़ी की ढलान में फेंका हुआ पाया गया। इस भूःभाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। यह भी पाया गया कि इस भाग में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुछ स्थानों पर तार–जाल (स्टेप देते हुये) का निर्माण कर पुनः सम्भावित अपरदन (Erosion) को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

इस मार्ग के तृतीय भाग यथा ग्राम डेरसा से प्यूनल–चौरलानी तक समरेखण (Alignment) पूर्ण रूप से निजी भूमि (Private land) में है एवं इस भाग का ढलान सामान्य है एवं मार्ग निर्माण सरल है। वर्तमान में इस मार्ग के भाग में मार्ग कटिंग का कार्य लगभग 03 कि0मी0 में किया गया है। इस मार्ग के भाग में मार्ग कटिंग से क्षति की आशंका नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा यह अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण मार्ग में आरक्षित वन के अन्तर्गत प्रभावित वृक्षों का पातन (आंवटित लौट के अनुसार) वन निगम द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मार्ग कटिंग से आरक्षित वन में क्षतिग्रस्त 08 वृक्षों (देवदार–03, चीड़–05) का वन अपराध सं0–3/देवघार दिनांक 01.05.2020 कनिष्ठ अभियन्ता विनोद शर्मा, पुत्र श्री बर्फिया नन्द शर्मा, दयाराम पुत्र स्व. श्री भागचन्द, ठेकेदार ग्राम ध्वैरा तथा विरेन्द्र चौहान, मुन्शी के विरूद्व निर्गत किया गया। इस वन अपराध का प्रशमन रू0 2,21,000 में किया गया है। निरीक्षण के दौरान सिविल वन क्षेत्र में भी वृक्ष गिरे पड़े पाये गये जिनके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अवगत कराया गया कि ये वृक्ष वन निगम को आंवटित हैं। जिनका निस्तारण वन निगम द्वारा किया जाना है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुछ स्थानों पर तार जाल स्थापित कर पुनः सम्भावित अपरदन(Erosion) को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

4. मोटर मार्ग की आवश्यकता :– प्रश्नगत चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग का निर्माण त्यूनी तहसील के दूरस्थ ग्रामों यथा चांदनी, डेरसा, प्यूनल व चौरलानी आदि ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे तथा उनके द्वारा जांच समिति को यह अवगत कराया गया कि इस मार्ग के बनने से चार ग्रामों में निवास करने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध हो पायेंगी। क्षेत्र में कृषकों को कृषि एवं बागवानी से सृजित उत्पादन को विपणन हेतु बाजार भी उपलब्ध होगा जिससे ग्रामीणों की आजीविका में वृद्वि होगी। ग्रामीणों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बीमारग्रस्त एवं महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में भी यह मार्ग सहायक सिद्व होगा। जनभावनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उददेश्य से एवं दूरस्थ भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

5. निष्कर्ष :– जॉच समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण करने, स्थलीय निरीक्षण करने तथा प्रकरण से सम्बन्धित सभी वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ गहनता पूर्वक पूछताछ करने के उपरान्त जॉच समिति का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है:–

5.1 प्रश्नगत मार्ग निर्माण के प्रस्ताव में कुल आच्छादित भूमि का क्षेत्रफल 13.94 है0 है। इसमें आरक्षित वन भूमि 1.1375 है0, सिविल सोयम वन भूमि 3.8025 है0 तथा नाप भूमि 9.00 है0 है। इससे स्पष्ट है कि मार्ग का अधिकांश भाग नाप भूमि में आता है तथा निरीक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश नाप भूमि वाले मार्ग के भाग में कटिंग से क्षति नहीं हुई है। आरक्षित वन भूमि में मलुवा निस्तारण से हुई क्षति के सम्बन्ध में वन अपराध दर्ज किया गया है। जिसको प्रतिकर लेकर प्रशमित किया गया है। मुख्य रूप से सिविल सोयम वन भूमि में मलवे का निस्तारण चिन्हित डंपिंग स्थानों पर न करते हुये मार्ग से नीचे ढलानों पर किया गया है।

5.2 प्रश्नगत मार्ग निर्माण के द्वितीय भाग ब्यूलोग से ग्राम डेरसा के मध्य मार्ग निर्माण कार्य कठिन है। इस भाग के प्रथम 800 मी0 आरक्षित वन के भूभाग में हुई 8 वृक्षो की क्षति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा क्षति की प्रतिपूर्ति वन अपराध दर्ज कर रू0 2.21 लाख की प्रतिपूर्ति वसूली गई है। सिविल वन भूमि के शेष भूभाग में मार्ग में 03 किमी0 लम्बाई पर 6 कैंची मोड़ (Hairpin bend) बनाये गये है। वर्षा के कारण भी पहाड़ में कटान हुआ है जिसके कारण भी मलुवा ढलान की ओर उत्सर्जित हुआ है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा युक्तियुक्त सावधानी पूर्वक कार्य न करने के फलस्वरूप, मलुवा निस्तारण ढलान पर करने से वृक्षों के गिरने, पुर्नजनन (Regeneration) क्षति एवं मृदा अपरदन (Soil Erosion) के रूप में पर्यावरणीय क्षति हुई। इस भू: भाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। यद्यपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा सम्भव स्थानों पर तार जाल स्थापित कर पुनः सम्भावित अपरदन (Erosion) को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

5.3 प्रयोक्ता अभिकरण (अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, निमार्ण खण्ड कालसी) द्वारा विस्तृत कार्य योजना (DPR) के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के द्वितीय चरण में पर्यावरणीय क्षति कम करने हेतु प्रावधान किये गये हैं एवं प्राविधान के अनुरूप, निम्नलिखित कार्यों हेतु बचनबद्धता लिखित रूप में दी गई है–

(1) पहाड़ कटान, दीवार स्कपर का निर्माण पूर्ण होते ही मार्ग के नीचे जिन भाग में क्षति हुई है उन भाग में सीडिंग एवं मलचिंग के द्वारा वन सम्पदा पुनः जीवित कराई जायेगी।

(2) मार्ग के जिन भाग में स्लाइड जोन बनने सम्भावना है उन भाग में सुरक्षा दीवार व ड्रम में बोल्डर भरकर स्लाइडिंग को रोकने का कार्य किया जायेगा।

(3) मार्ग के नीचे जो मलुवा चला गया है, उसे उसी स्थान पर रोकने हेतु वायरकेट का निर्माण किया जायेगा।

(4) मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्ग के बाहरी किनारे में वनीकरण का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। वनीकरण कार्य से पूर्व वन विभाग से क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जिस वृक्ष प्रजाति की उस भाग में आवश्यकता होगी, इस सम्बन्ध में वन विभाग से सहमति एवं तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

पर्यावरण क्षति को कम करने हेतु जो उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न किये जाने है उसका प्राविधान पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में है जिसकी लागत रू0 10,54,554.00 है। अतिरिक्त आवश्यकता की दशा में अन्य व्ययों/बचतों से प्रावधान किया जायेगा।

6. संस्तुति :–

6.1 जांच समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जाये। जो मलवा मार्ग निमार्ण में नहीं लाया जाना है एवं चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त स्थलों पर डाला गया है उसको प्राथमिकता के आधार पर एकत्रित कर चिन्हित स्थलों पर ही डाला जाये जिसके लिये प्राक्कलन में व्यय का प्रावधान है।

6.2 जांच समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि स्थानीय, दूरस्थ एवं मूलभूत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस मार्ग का निमार्ण विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तो का अनुपालन करते हुये जनहित में किया जाना आवश्यक है।

6.3 जांच समिति द्वारा यह भी संस्तुति की जाती है कि वन निगम द्वारा आवंटित लॉट में शेष छपानशुदा वृक्षों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर रूपान्तरण कर निस्तारण किया जाये ताकि इन वृक्षों की चोरी न होने पाये एवं वृक्षो के सम्भावित लुढ़कान से पर्यावरण क्षति न होने पाये। वर्तमान में अभी आवंटित लॉट में वन निगम द्वारा 37 वृक्षों का निस्तारण किया जाना शेष है।

6.4 सिविल वन एवं नाप भूमि में क्षति हेतु प्रकरण राजस्व विभाग को भी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाय।

6.5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लिखित रूप से पर्यावरण क्षति के कुप्रभाव को न्यून करने के लिये वचनबद्धता दी गयी है। अतः जांच समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्धता के अनुरूप उपरोक्त वर्णित चार बिन्दुओं पर वन विभाग के तकनीकी सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग को प्रेषित करेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण इसका क्रियान्वयन मार्ग निमार्ण कार्य के साथ–साथ किया जाना सुनिश्चित करेंगें एवं समय–समय पर प्रभाग स्तर पर सम्बन्धित फील्ड वनाधिकारियों द्वारा इसका अनुश्रवण किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग द्वारा समय–समय पर इन कार्यो की रिपोर्ट/मूल्यांकन आख्या वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान लिए गये फोटोग्राफ्स **(संलग्नक–07)** में संलग्न किये गये हैं।

अतः इस प्रकरण में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट मय संलग्नकों के उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

(अमित वर्मा)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड,
देहरादून

संलग्नक:2

भारत सरकार
प[illegible] ग. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 172 / 2016 / 2457 दिनांक: 04 / 02 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1531 / FP/UK/Road/16879/2015, देहरादून दिनांक 21.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, के पत्रांक 907 / x-4-16/1(285)/2016 दिनांक 06.09.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 12.10.2017 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तो की अनुपालन अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद – देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदल प्रस्तावित 9.880 हे0 ग्राम डेरसा सविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत छः माह के अंदर आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

7. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।

8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 223 वृक्षों से अधिक न हो।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।

11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वियन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

संलग्नक : 1

संख्याः X-3-20/1(285)/2016

प्रेषक

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2020

विषयः– जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2078/FP/UK/ROAD/16879/2015, दिनांक 13 फरवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने** की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/172/2016/2457, दिनांक 04.02.2020 के द्वारा दी गयी **विधिवत् स्वीकृति** के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.880 हे0 ग्राम डेरसा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत छः माह के अंदर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थनों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में प्रस्वावित सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर Strip Plantation किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
11. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक 3

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 196/2020 दर्शन टीका राम डोभाल बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2020 को उक्त विषय में आहूत की गयी बैठक का कार्यवृत्त—

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1— श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
2— श्री अमित वर्मा, वन संरक्षक यमुना वृत्त।
3— श्री दीप चन्द्र आर्य, प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता।

1— मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के कम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा दो सदस्य टीम बनायी गयी है जिसमें अधोहस्ताक्षरी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त नामित हैं। इस टीम को दिनांक 31.10.2020 से पूर्व प्रमुख वन संरक्षक(HoFF) उत्तराखण्ड को जॉच रिर्पोट उपलब्ध करायी जानी है। अतः इस प्रकरण में जॉच की कार्यवाही समयबद्व तरीके से कर जॉच रिर्पोट तैयार की जानी है।

2— सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा इस प्रकरण के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा वर्तमान तक की कृत कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख भी उपलब्ध कराये गये। प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञांत हुआ कि यह प्रकरण चांदनी प्यूनल मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित मार्ग कटिंग किये जाने एवं इस कटिगं से वृक्षो का पातन एवं सृजित हुआ मलबा निस्तारण न किये जाने से सम्बन्धित है। यधपि इस मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव (प्रयोक्ता ऐजेन्सी पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी) के प्रस्ताव की भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति माह मार्च 2020 में जारी की गई है। इस स्वीकृति में निर्दिष्ट शर्तो का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन नही किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 01.05.2020 को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वन भूमि में मलवा डालने एवं वृक्षो को क्षति पहुचाने पर वन अपराध जारी किया गया है। पुनः दिनांक 17 जून 2020 को किये गये निरीक्षण में, शर्तो का अनुपालन न होने पर, कार्यो को स्थगित करने के निर्देश प्रयोक्ता ऐजेन्सी को पत्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र दिये गये हैं।

3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त एवं प्रभागीय वनाधिकारी चकराता से प्रकरण की समीक्षा के उपरान्त यह तय किया गया कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये यह आवश्यक है कि इस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया जाय एवं टीम द्वारा दिनांक 20—21.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता को निर्देश दिये गये कि वे प्रयोक्ता ऐजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर शर्तो के अनुपालन की स्थिति ज्ञात करे एवं मलवा निस्तारण हेतु किये गये कार्यो का विवरण टीम को तत्काल उपलब्ध कराये।

अन्त में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

भवदीय,

6/X/2020

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत,एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 383 /26-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF) उत्तराखण्ड को सुचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/X/2020

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत,एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड।

मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2020, (पूर्वाह्न 11.45 बजे) को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 196/2020 दर्शन टीका राम डोभाल बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य से सम्बन्धित बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी का विवरण :–

क सं0	नाम व पता	मो0 नम्बर	हस्ताक्षर
1	निशान्त वर्मा [illegible]	882639080[illegible]	[signature] 6/10/2020.
2	AMIT VERMA, I CF Yamuna circle	9411007773	[signature]
3	दीप चन्द्र आर्य प्रभागीय वनाधिकारी चकराता	9411113414	[signature] 6/10/2020
4			
5			
6			

पत्रांक : 4

फोन / फैक्सः 01360–275078
Email: dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक 1544 / 12-1 चकराता दिनांक 26 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **चांदनी–प्यूनल मार्ग निर्माण में अनियमितता।**

महोदय,

चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग का निर्माण अधिशासी अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड कालसी, देहरादून द्वारा कराया जा रहा है। यह मोटर मार्ग (लम्बाई 23.325 किमी0) भारत सरकार के पत्र सं0 08 बी / यू.सी.पी. / 06 / 172 / 2016 / 2457 दि0 4.02.2020 से विधिवत् स्वीकृत है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 261 / X–3–20 / 1(285) / 2016 दि0 18.03.2020 से शर्तो / प्रतिबन्धों को अधिरोपित किया गया हैं। निर्माणाधीन मोटर मार्ग के अंतर्गत आच्छादित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

(1). आरक्षित भूमि	–	1.1375 है0
(2). सिविल सोयम भूमि	–	3.8025 है0
(3). नाप भूमि	–	9.0000 है0
योग	–	**13.9400 है0**

मार्ग का दिनांक 1.05.2020, 17.06.2020 एवं 11.10.2020 को निरीक्षण किया गया। प्रयोक्ता अभिकरण के सहायक अभियन्ता, अवर सहायक अभियन्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि किमी. 1 से 8.05 लम्बाई तक मोटर मार्ग हल्का वाहन(LVR) हेतु पूर्व से निर्मित है। जिसमें मोटर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक स्थानों पर चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु कटिंग का प्रावधान रखा गया है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं मार्ग की दशा से भी यह स्पष्ट होता है कि पूर्व से निर्मित मार्ग में ढलान कम है, मार्ग घाटी से होता हुआ ब्यूलोग तक पहुँचता है। इस भाग में चौड़ीकरण का कार्य किया गया है।

वर्तमान में, मार्ग निर्माण हेतु मुख्यतः ब्यूलोग से कटिंग का कार्य किया जा रहा है। कटिंग का कार्य ब्यूलोग से लगभग 10 किमी0 तक किया जा चुका है। ब्यूलोग से डेरसा तक 7 किमी0 के भाग में प्रथम लगभग 800 मी0 आरक्षित भूमि है, शेष भाग अधिकांशतः सिविल भूमि व आंशिक निजी भूमि है। ग्राम डेरसा के उपरान्त समस्त मार्ग निर्माण कार्य निजी भूमि में है। ब्यूलोग से डेरसा तक 7 किमी. की दूरी तय करने में लगभग 400–500 मीटर की उर्ध्व ऊंचाई को प्राप्त करना है। इस खण्ड में मार्ग निर्माण कार्य करना यद्यपि कठिन है, ढलान पर मलुआ उत्सर्जन से बचाना भी एक चुनौती है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित सावधानी से कार्य भी नहीं किया गया है। डम्पिंग जोन का निर्धारित योजना के अनुसार निर्माण नहीं किया गया। कटान से उत्सर्जित मलुवे को पहाड़ी की ढलान में निस्तारित किया गया। इस भूःभाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। ग्राम डेरसा के उपरान्त मार्ग समरेखण निजी भूमि में होने एवं ढलान सामान्य होने के कारण मार्ग निर्माण सरल है एवं क्षति की आशंका नहीं है।

दिनांक 01.05.2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ब्यूलोग से आरक्षित वन से आगे पहले कैंची मोड़ (Hairpin bend) तक मार्ग का निरीक्षण किया गया। तत्समय तीसरे कैंची मोड़ पर कार्य किया जा रहा था। प्रारम्भ में लगभग 800 मी0 आरक्षित भूमि में है, शेष सिविल भूमि में है। मलुवा निस्तारण हेतु स्थान निर्धारित नहीं पाया गया। मलुवा निस्तारण मार्ग से नीचे लुढ़काकर किया जा रहा था। जिससे वनस्पतियों एवं वृक्षों को क्षति हुई। निर्माण कार्य को तत्काल रोका गया। वन क्षेत्राधिकारी को मलुवा निस्तारण नियमानुसार करने एवं क्षति का आंकलन करने एवं वन अपराध दर्ज करने के निर्देश दिये

गये। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा श्री विनोद शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड कालसी, श्री दयाराम चौहान, ठेकेदार, ग्राम धोईरा तहसील कालसी, श्री विरेन्द्र चौहान के नाम वन अपराध पंजीकृत कराया गया। वन अपराध का प्रशमन रू0 2,21,000.00 में किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या–371/अनु0, दिनांक 13.05.2020 से सूचित किया गया कि ठेकेदार द्वारा क्षति का अर्थदण्ड कार्यालय में जमा कर दिया गया है। ठेकेदार को कठोर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, भविष्य में मार्ग निर्माण करते समय और अधिक सावधानियों का संज्ञान लेकर कार्य करवाया जायेगा। पत्र की प्रति संलग्न है। **संलग्नक–1।**

वन क्षेत्राधिकारी देवघार द्वारा पत्र सं0 339/27 दि0 3.05.2020 से तहसीलदार त्यूनी को को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सिविल क्षेत्रों(जिनका स्वामित्व राजस्व विभाग के पास है) में ढलान में किये उत्सर्जित मलुवे से 66 वृक्षों को क्षति होने से अवगत कराया गया। ये वृक्ष वन निगम को आवंटित हैं।

दिनांक 17.06.2020 को निरीक्षण में पाया गया कि मोटर मार्ग का निर्माण/ कटिंग का कार्य, डेरसा ग्राम तक किया जा चुका है। आरक्षित वन से आगे 03 किमी0 लम्बाई के मार्ग में 6 कैंची मोड़ (Hairpin bend) बनाये गये है। जिससे मार्ग में क्षति हुई है। मार्ग में डम्पिंग जोन निर्धारित योजना के अनुरूप नहीं बनाये गये है। अतः भारत सरकार के अनुज्ञा पत्र के अनुरूप निर्दिष्ट शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनः अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड कालसी को इस कार्यालय की पत्र संख्या–3866/12–1, दिनांक 18.06.2020 से कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया एवं अग्रिम निर्देशों तक कार्य स्थगित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता से अनुपालन सूचना प्राप्त न होने पर पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या–644/12–1, दिनांक 22.08.2020 से अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया।

इस कार्यालय की पत्र सं0 857/12–1 दि0 8.09.2020 से अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, वृत्त भटट्ा फॉल, मसूरी को भी प्रकरण में तकनीकी जांच कराने हेतु लिख गया। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पत्र सं0 1775/ 617 याता0–पी.एम.जी.एस.वाई./19 दि0 16.09.2020 से कार्यों की जांच हेतु 3 सदस्यों की विभागीय समिति गठित की गई एवं इस कार्यालय को सूचित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. कालसी द्वारा अपने पत्र सं0 862/22 सी दि0 04.09.2020 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि विधिवत् स्वीकृती की शर्तो का पूर्ण पालन किया जा रहा है। वनक्षेत्राधिकारी देवघार द्वारा पत्र सं0 140/12 दि0 27.09.2020 व उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पत्र सं0 159/12–1 दि0 8.10.2020 से मार्ग निर्माण में विभिन्न अनियमिताओं से सूचित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मार्ग निर्माण में विधिवत् स्वीकृति की शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है।

दिनांक 11.10.2020 को पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण के अधीनस्थ सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता भी उपस्थित रहे। निरीक्षण जिसमें यह पाया गया कि शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता से लिखित स्थलीय आख्या भी प्राप्त की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि डम्पिंग जोन निर्धारित योजना के अनुरूप नहीं बनाये गये हैं एवं समरेखण स्तम्भ भी मौके पर नहीं हैं। डम्पिंग जोन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित पायी गई–

अधिसूचित/ कार्ययोजना के अनुसार डम्पिंग जोन का विवरण							निरीक्षण की स्थिति
क.स.	स्थिति	भूमि का प्रकार	भू:स्वामित्व	क्षेत्रफल है0	भूमि वर्ग मी. में	डम्पिंग के उपयोग हेतु क्षे.फ.	
यार्ड–1	किमी. 3.0	सिविल	सिविल सोयम	1.52	15200	2400	नहीं बनाया गया
यार्ड–2	किमी. 4.0	निजी	श्री ग्यारू	0.208	2080	1200	नहीं बनाया गया
यार्ड–3	किमी. 7.0	सिविल	सिविल	2.44	24400	2000	नहीं बनाया गया
यार्ड–4	किमी. 8.0	निजी	सुन्दर सिंह	0.279	2790	875	नहीं बनाया गया

यार्ड–5	किमी.10.0	निजी	पिरमा देवी	0.242	2420	1200	बनाया जा रहा है।
यार्ड–6	किमी.12.0	निजी	पामू	0.845	8450	2100	भिन्न स्थान पर बनाया जा रहा है।
यार्ड–7	किमी.14.0	सिविल	सिविल	4.280	42800	3200	निजी भूमि में बनाया बनाया जा रहा है।
यार्ड–8	किमी.15.0	निजी	श्री धन सिंह	0.211	2110	1500	बनाया जा रहा है।
यार्ड–9	किमी.18.0	निजी	श्री चतर सिंह	0.501	5010	2400	सहायक अभि. व अवर सहायक अभि. द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य के साथ–साथ बनाया जायेगा।
यार्ड–10	किमी.21.0	निजी	श्री अजब सिंह	0.744	7440	2625	
यार्ड–11	किमी.23.0	निजी	श्री रामतू	0.555	5550	2400	
			योग–			21900	

कम सं0 1 से 4, किमी. 8 तक के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता एवं अवर सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि किमी. 1 से 8.05 लम्बाई तक मोटर मार्ग पूर्व निर्मित हल्का वाहन (LVR) हेतु बना हुआ था। जिसमें मोटर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक स्थानों पर चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु कटिंग का प्रावधान रखा गया है। कटिंग से प्राप्त मलुवा जमा करने हेतु किमी. 3, 4, 7 व 8 में डम्पिंग जोन का प्रावधान रखा गया था। यह प्रावधान मार्ग पर स्टेज–1 की स्वीकृति के लिये रखा गया था। किन्तु वर्तमान में मोटर मार्ग पर स्टेज–2 का कार्य भी स्टेज–1 के साथ– साथ किया जा रहा है। जिससे मार्ग निर्माण में अतिरिक्त सामग्री की खपत होगी। जिस हेतु किमी. 3, 4 में डम्पिंग जोन की आवश्यकता नहीं होगी। किमी. 7 व 8 में आवश्यकता हेतु डम्पिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। सीमा स्तम्भों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पिलर निर्माण किया गया था किन्तु वर्षाकाल में कटिंग के दौरान अधिकांश पिलर क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जिनका निर्माण पुनः कर दिया जायेगा।

निरीक्षण उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि मार्ग निर्माण के प्रथम 8 किमी. में पूर्व से ही हल्का वाहन(LVR) निर्मित है, इस भाग में चौड़ीकरण का कार्य ही किया गया है। भौगोलिक स्थिति भी अधिक ढलान की नहीं है, कटान से प्राप्त मलुआ को भरान में उपयोग किया गया है, अतः इस भाग में डम्पिंग जोन की आवश्यकता नहीं है।

मार्ग के किमी. 8 से 15 के भाग में 7 किमी. के दूरी तय करने में लगभग 400–500 मीटर की उर्ध्व ऊंचाई को प्राप्त करना है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित सावधानी से कार्य भी नहीं किया गया है। डम्पिंग जोन का निर्धारित योजना के अनुसार निर्माण नहीं किया गया। कटान से उत्सर्जित मलुवे को पहाड़ी की ढलान में निस्तारित किया गया। इस भूःभाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा सम्भव स्थानों पर तार जाल स्थापित कर पुनः सम्भावित अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

अधीक्षण अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. वृत्त, लो0नि0वि0 द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं0 857/12–1 दि0 8.09.2020 के कम में विभागीय जॉच समिति की जॉच आख्या पत्र सं0 2064/617 याता0–पी.एम.जी.एस.वाई./20 दि0 14.10.2020 से प्रेषित् की गई। जॉच समिति की जॉच आख्या में मलुआ निस्तारण ढलान/खड्ड में करने, आवश्यक डम्पिंग जोन न बनाये जाने की पुष्टि की गई है। जांच आख्या **संलग्नक–2।**

अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्ड, कालसी, देहरादून द्वारा अपनी पत्र सं 1040/22 सी दि0 22.10.2020 से आख्या प्रेषित् की गई। इस पत्र में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के भाग नं0 2 ब्यूलोग से डेरसा के भाग में ऊंचाई का अन्तर 400 मी0 है। इस ऊर्ध्वाधर दूरी को प्राप्त करने हेतु क्षैतिज दूरी कम होने के कारण मार्ग की स्वीकृत डी.पी.आर के अनुरूप 06 हेयरपिन बैण्डों का निर्माण किया गया है। जिसके कारण इस भाग में निर्माण के दौरान एवं

वर्षा के बाद बैण्ड क्षतिग्रस्त होने से मलवा एवं बोल्डर नीचे गिर गये, जिससे वन सम्पदा को क्षति हुई। पत्र में उनके द्वारा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति की बचन बद्धता प्रेषित् की गई। **संलग्नक–3।**

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, चकराता द्वारा अपने पत्र–898/13–1, दिनांक 26.10.2020 से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग में आवंटित आरक्षित वन के अन्तर्गत लौट संख्या–58/2017–18 में कार्य समाप्त कर त्याग पत्र प्रेषित किया गया है तथा लौट सं0–59/2107–18 में मार्ग के अन्तर्गत सिविल क्षेत्रों के वृक्ष है, जिनमें कुल 188 वृक्षों का छपान व पातन निहित है, में 37 वृक्षों का निस्तारण शेष है। इस मार्ग में छापे गये वृक्षों को रोड़ कटान कराने से कोई नुकसान नहीं हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों का यह निष्कर्ष है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समय–समय पर किये गये निरीक्षण उपरान्त विधिवत स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग निर्माण के आंशिक भाग ब्यूलोग से ग्राम डेरसा के मध्य यद्यपि मार्ग निर्माण कार्य कठिन है। मार्ग के इस भाग में 03 किमी0 लम्बाई पर 6 कैंची मोड़ (Hairpin bend) बनाये गये है। मोड़ क्षतिग्रस्त होने एवं वर्षा के कारण भी पहाड़ में कटान हुआ है जिसके कारण भी मलुवा ढलान की ओर उत्सर्जित हुआ है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा युक्तियुक्त सावधानी पूर्वक कार्य न करने, मलुवा निस्तारण ढलान पर करने का वृक्षों, पुर्नजनन एवं मृदा अपरदन के रूप में पर्यावरणीय क्षति हुई। इस भूभाग में चीड़ एवं नालों में मिश्रित प्रजातियों के वन हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा सम्भव स्थानों पर तार जाल स्थापित कर पुनः सम्भावित अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विस्तृत कार्य योजना के अनुरूप (DPR) मार्ग निर्माण के द्वितीय चरण में पर्यावरणीय क्षति कम करने हेतु निम्नलिखित कार्यों हेतु बचनबद्धता प्रेषित् की गई है–

(1) पहाड़ कटान, दीवार स्कपर का निर्माण पूर्ण होते ही मार्ग के नीचे जिन भाग में क्षति हुई है उन भाग में सीडिंग एवं मलचिंग के द्वारा वन सम्पदा पुनः जीवित कराई जायेगी।

(2) मार्ग के जिन भाग में स्लाइड जोन बनने सम्भावना है उन भाग में सुरक्षा दीवार व ड्रम में बोल्डर भरकर स्लाइडिंग को रोकने का कार्य किया जायेगा।

(3) मार्ग के नीचे जो मलवा चले गया है उसे उसी स्थान पर रोकने हेतु वायरकेट का निर्माण किया जायेगा।

(4) मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्ग के भारी किनारे में प्लांटेशन का कार्य किया जायेगा। प्लांटेशन कार्य से पूर्व वन विभाग से क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जिस वृक्ष की प्रजाति की उस भाग में आवश्यकता होगी, वन विभाग में सहमति एवं सलाह प्राप्त कर ली जायेगी।

पर्यावरण क्षति को कम करने हेतु जो उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न किये जाने है उसका प्राविधान पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में है जिसकी लागत रू0 10,54,554.00 है। उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न किये जाने हेतु विभाग वचनबद्ध रहेगा।

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड कालसी द्वारा दिये गये उपरोक्त वचनबद्धता का मूल्यांकन भविष्य में ही किया जा सकता है। आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक / **तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम चकराता।

पत्रांक 828 / 13—1

दिनांक 26 / 10 / 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग चकराता
कालसी।

विषय:— लौट सं0—59 / 17—18 (त्यूनी मोटर मार्ग) विकास कार्यों के ... के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में इस प्रभाग में वर्ष—2017—18(त्यूनी प्यूनल मोटर मार्ग) की दो लौटे प्राप्त हुई थी। जिसमें लौट सं0—58 / 17—18 अरक्षित वन की जिसका कार्य समाप्त कर त्यागपत्र प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी को प्रेषित किया गया था, तथा लौट सं0—59 / 17—18 (पी0एम0जी0एस0वाई0) योजन के अन्तर्गत त्यूनी प्यूनल मोटर मार्ग के आरक्षित वन क्षेत्र के बाद आने वाले क्षेत्र के वृक्ष सिविल भूमि में आते है। प्रास्तविक मोटर मार्ग के सिविल भूमि के निर्माण में कुल 188 वृक्षों का छपान किया गया था जिनका आयतन 84.478 घ0मी0 है, तथा लौट से 151 वृक्षो का कटान,घिरान किया गया, जिनका आयतन 51.8129 घ0मी0 था,तथा निकासी हो गयी है। सेक्शन अधिकारी त्यूनी ने अवगत कराया है। कि सिविल भूमि तथा अभी तक लौट में 37 वृक्ष शेष है। जिनका आयतन 32.6651 घ0मी0 है। तथा इस मार्ग में छापे वृक्षों को रोड़ कटान कराने से कोई नुकसान नही हुआ है। शेष वृक्षों का निस्तारण शीघ्र होना है।

अतः सूचना सूचनार्थ प्रेषित है।

26/10/2020

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
चकराता।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 हरिद्वार
(मुख्यालय–कालसी)

पत्रांक– 1040/22 सी   दिनांक /10/2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत त्यूनी–चांदनी रो पिवनल मोटर मार्ग पर एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 11.09.2020 के क्रम में आपके द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुपालन में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के पत्र सं0 17024/24/2017–आर.सी. (FMS-355978) दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के द्वारा लम्बाई 23.150 कि.मी. की प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में वनभूमि स्थानांतरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु वन विभाग को प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/172/2016/एफ0सी0/122–4 दिनांक 12.10.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति 4.94 हे0 की प्राप्त हुई थी, सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षे0का0 (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/172/2016/2457 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा प्राप्त हुई थी उपरोक्त स्वीकृति हेतु वन विभाग को जो प्रस्ताव गठित किया गया था वह कि.मी. 8 ब्यूलोग से पिवनल (चौंरीलानी) तक प्रेषित किया गया था चूंकि मार्ग के कि.मी. 1 से कि.मी. 7.475 तक पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग लो0नि0वि0 चकराता द्वारा निर्मित किया गया था जिसकी विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षे0का0 मध्य क्षेत्र के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/248/2010/ एफ0सी0/1435 दिनांक 04 मार्च 2013 के द्वारा 2.79 हे0 की प्राप्त हुई थी। महोदय वर्तमान में उपरोक्त मोटर मार्ग पर मैसर्स आर0जी0 बिल्डवेल इंजीनियर्स प्रा0लि0 का अनुबंध मार्ग के स्टेज–I, स्टेज–II (डामरीकरण) एवं 24 मी0 स्पान लोह सेतु का रु. **2723.21 लाख** निर्माण एवं 121.54 लाख अनुरक्षण अर्थात् कुल **2844.75 लाख** का अनुबंध गठित है जिसमें डंपिंग का कार्य पहाड़ कटान की मद में ही शामिल है तथा डंपिंग जोन के निर्माण कार्य हेतु वायरक्रेट का प्राविधान आगणन में सम्मिलित है। महोदय इस कार्य में तीन स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त है जो निम्नवत् है–

क्रम सं.	स्टेज–I	शासनादेश	निर्माण लागत रु. लाख में	अनुरक्षण लागत रु. लाख में	कुल लागत रु. लाख में
1.	I	329/P1-34(Phase-XVI)/U.R.R.D.A./18 Dt. 14 May, 2018	1461.79	77.52	1539.32
2.	II	463/XI/19/56(63)2018, Dt. 06.03.2019	1182.83	111.67	1294.50
3.	सेतु	188/XI/19/56(63)2018 Dated 11.01.2019	148.96	15.68	164.64
		Total	**2793.58**	**204.87**	**2998.45**

अवगत कराना है कि वनभूमि स्थानांतरण के समय मार्ग के कि.मी. 3, कि.मी. 4, कि.मी. 8, कि.मी. 10, कि.मी. 12, कि.मी. 14, कि.मी. 15, कि.मी. 18, कि.मी. 21 एव कि.मी. 23 में डंपिंग जोन का प्राविधान रखा गया था जिसके

क्रमशः पृ0 2

(डी0सी0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
कालसी

क्रम में अवगत कराना है कि: –

1. मार्ग के कि.मी. 3 व 4 में डंपिंग जोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चूंकि पूर्व में जब वनभूमि स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को गठित किया गया था तो तत्समय मार्ग निर्माण हेतु स्टेज–। के ही कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त थी, चूंकि कि.मी. 1 से 8 तक पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग था जिसको मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का प्राविधान था और मार्ग मात्र 2 से 2.50 मी0 चौड़ाई में कटिंग कार्य किया जाना था जिससे इस भाग में कम मात्रा में ही मलवा डंपिग जोन में निस्तारित किया जाना था, चूंकि वर्तमान में मार्ग पर पक्कीकरण का कार्य भी इसी अनुबंध के तहत किया जाना है, मार्ग निर्माण से जो मलवा निकलेगा उसका पूर्ण प्रयोग मार्ग पक्कीकरण के कार्य में होगा। जिस कारण पूर्व निर्धारित कि.मी. 3 एवं 4 में डंपिंग जोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मार्ग के कि.मी. 7 व 8 में पक्कीकरण के बाद जो मलवा अवशेष बचेगा उसके निस्तारण हेतु पूर्व में जो डंपिंग जोन निर्धारित किये गये थे उन्हीं स्थानों पर आवश्यकतानुसार डंपिंग जोन का निर्माण किया गया है। मार्ग के कि.मी. 10, 12 एवं 15 में भी आवश्यकतानुसार पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही डंपिंग जोन का निर्माण किया गया है इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि मार्ग के कि.मी. 14 में पूर्व में डंपिंग जोन का प्राविधान सिविल/सोयम भूमि में रखा गया था किन्तु वर्तमान में उक्त डंपिंग जोन का निर्माण प्राईवेट भूमि पर 100 मी0 पहले किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि कि.मी. 15 से आगे कि.मी. 18, 21 एवं 23 में मार्ग निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही डंपिंग जोन का निर्माण किया जायेगा।

2. महोदय अवगत कराना है कि उक्त कार्य कि शुलभता अनुसार मार्ग के तीन भाग है जिसका विवरण निम्न है–
   भाग नं0 1 त्यूनी से ब्यूलोग कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.00 तक, भाग नं0 2 ब्यूलोग से डेरसा कि.मी. 8.00 से कि.मी. 15.00 तक अधिकतर वनभूमि है जिसमें 600 से 700 मी0 रिजर्व फॉरेस्ट है एवं भाग नं0 3 डेरसा से चौंरीलानी कि.मी. 15.00 से कि.मी. 23.150 तक नाप भूमि है।

उपरोक्त भागों के अनुसार भाग नं0 1 में जो मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, वह पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। भाग नं0 2 ब्यूलोग से डेरसा के अन्तर्गत जो मार्ग का निर्माण किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस भाग में ब्यूलोग की उचांई 1450 मी0 एवं डेरसा की उंचाई 1850 मी0 है अर्थात् डेरसा एवं ब्यूलोग के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 400 मी0 है, इस ऊर्ध्वाधर दूरी को प्राप्त करने हेतु क्षैतिज दूरी कम होने के कारण मार्ग की स्वीकृत डीपीआर में 6 हेयरपिन बैण्डों का प्राविधान रखा गया था, स्वीकृत डीपीआर के अनुपालन में इन 6 हेयरपिन बैण्डों का निर्माण किया गया जिस कारण इस भाग में निर्माण के दौरान एवं वर्षा के बाद बैण्ड क्षतिग्रस्त होने से कुछ मलवा व बोल्डर नीचे गिर गये जिससे कुछ भागों में वन सम्पदा की क्षति हुई है। वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य सम्पन्न कराया जायेगा–

a. पहाड़ कटान, दीवार स्कपर का निर्माण पूर्ण होते ही मार्ग के नीचे जिन भाग में क्षति हुई है उन भाग में सीडिंग एवं मलचिंग के द्वारा वन सम्पदा पुनः जीवित कराई जायेगी।
b. मार्ग के जिन भाग में स्लाइड जोन बनने सम्भावना है उन भाग में सुरक्षा दीवार व ड्रम में बोल्डर भरकर स्लाइडिंग को रोकने का कार्य किया जायेगा।
c. मार्ग के नीचे जो मलवा चले गया है उसे उसी स्थान पर रोकने हेतु वायरक्रेट का निर्माण किया जायेगा।
d. मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्ग के भारी किनारे में प्लांटेशन का कार्य किया जायेगा। प्लांटेशन कार्य से पूर्व वन विभाग से क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थति के अनुसार जिस वृक्ष की प्रजाति की उस भाग में

क्रमशः पृ0 3

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.

आवश्यकता होगी, वन विभाग से सहमति एवं सलाह प्राप्त कर ली जायेगी।

अतः महोदय अवगत कराना है कि पर्यावरण क्षति को कम करने हेतु जो उपरोक्त कार्यों को सम्पन्न किये जाने है उसका प्राविधान पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 मे है जिसकी लागत रू0– 10,45,554 है उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न किये जाने हेतु विभाग वचनबद्ध रहेगा।

22/10/20

(इं0 बी0सी0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार
(मुख्यालय–कालसी)

पत्रांक– 1040 / 22सी0
दिनांक 22 / 10 / 2020

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई.टी. पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता स्तर–।, पी0एम0जी0एस0वाई0 ग0क्षे0, 6–इन्दिरानगर, काँवली रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता, वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 बी0सी0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार
(मुख्यालय–कालसी)